भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2261

12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ संबंधी विनियमन

†2261. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा भारतीयों के लिए जारी आहार संबंधी दिशा-निर्देश अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड) में अधिक कैलोरी संबंधी जोखिमों को उजागर करती हैं और कि देश में 2006 से 2019 तक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बिक्री लगभग 40 गुना बढ़ गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि भारत में अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को नियंत्रित करने के लिए अभी तक फ्रंट-ऑफ- पैक लेबलिंग के संबंध में कोई विनियमन नहीं है जबकि अन्य देशों के अनुभवों से यह प्रमाणित होता है कि सरल और स्पष्ट चेतावनियाँ प्रभावी हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने बताया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान (ICMR-NIN) द्वारा जारी भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा-निर्देश (2024) में अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड) को ऐसे खाने के रूप में वर्गीकृत किया है जिन्हें कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि उनमें वसा, चीनी और नमक (HFSS) की अधिक मात्रा होती है; उनकी पोषण गुणवत्ता खराब होती है, और उनका संबंध मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य असंचारी रोगों (NCDs) से है। दिशा-निर्देश आगे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि HFSS खाद्य पदार्थों और UPFs के अत्यधिक सेवन की विशेषता वाले अस्वास्थ्यकर आहार पैटर्न भारत के समग्र एनसीडी और रोग के बोझ में महत्वपूर्ण

योगदानकर्ता हैं। हालांकि, जबकि दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से UPFs की खपत के खिलाफ चेतावनी देते हैं, वे विशेष रूप से 2006 और 2019 के बीच UPF की बिक्री में रिपोर्ट की गई 40 गुना वृद्धि का उल्लेख नहीं करते हैं।

(ख) और (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के खाद्य विनियमन प्रभाग ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियमन, 2020 पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है, जहां कुछ सूचना/घोषणाएं पैक के सामने प्रदान की जाने वाली अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, जैसे: खाद्य पदार्थ का नाम, शाकाहारी/मांसाहारी प्रतीक, बहु-स्रोत खाद्य तेल घोषणा, कॉफी-चिकोरी मिश्रण विवरण, ग्लूटन मुक्त घोषणा, विकिरणित खाद्य घोषणा। उपरोक्त जानकारी उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प प्रदान करती है।

******